

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-25 / 2018-1142 दिनांक : ३१/७/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोडडा वन प्रमण्डल / देवघर वन प्रमण्डल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल / मेदिनीनगर वन प्रमण्डल / लातेहार वन प्रमण्डल / गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल / पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर / पलामू व्याघ परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर / वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य हेतु रु0 820.118 (आठ करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-37 / 2018-20 / स्वी0 व0प0 दिनांक 27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-37 / 2018-62 / आ10 व0प0 दिनांक 02.08.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 820.118 (आठ करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	763.185
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	56.933
कुल :-		820.118

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी



संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

6. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।



8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का



निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हेठो में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-- 01 / यो0ब0-25 / 2018- ।।42 दिनांक- 8/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / हजारीबाग / पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / देवघर हजारीबाग / चतरा / मेदिनीनगर / गढ़वा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-- 01 / यो0ब0-25 / 2018- ।।42 दिनांक- 8/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड़डा / देवघर हजारीबाग / चतरा / मेदिनीनगर / लातेहार / गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल
ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन
(Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार
उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			22788.48	1700.00	24488.48
दुमका रीजन					
1	गोड़ा वन प्रमण्डल	60	13.673	1.020	14.693
2	देवघर वन प्रमण्डल	75	17.091	1.275	18.366
योग:-		135	30.764	2.295	33.059
हजारीबाग रीजन					
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	75	17.091	1.275	18.366
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	91.154	6.800	97.954
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	22.788	1.700	24.488
योग:-		575	131.033	9.775	140.808
पलामू रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	500	113.942	8.500	122.442
2	लातेहार वन प्रमण्डल	300	68.365	5.100	73.465
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	39	8.888	0.663	9.551
योग:-		839	191.195	14.263	205.458
वन्यप्राणी प्रभाग					
1	पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	600	136.731	10.200	146.931
2	पलामू व्याघ परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	600	136.731	10.200	146.931
3	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	600	136.731	10.200	146.931
योग:-		1800	410.193	30.600	440.793
सकल योग:-		3349	763.185	56.933	820.118

प्रधान मुख्य वन विकास,
झारखण्ड, राँची

“रिल्वीकल्वर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 237.38 रु

प्रति 200 बांस बखार (मानक संख्या प्रति हेतु)

(राशि रूपये में)

क्र० राइ	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अन्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	712.14	0.00	712.14	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बौरों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हेतु की मानक संख्या से)	40	9495.20	200.00	9695.20	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बांसों को हटाना	10	2373.80	0.00	2373.80	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	4747.60	1500.00	6247.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोडनी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	4747.60	0.00	4747.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	712.14	0.00	712.14	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हेतु से कम है।
	कुल	96	22788.48	1700.00	24488.48	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कार्यान्वित की जाने वाली 'सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना' (अन्य व्याय) के अंतर्गत बाँस वारों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमाणक का नाम	वन प्रदोत्र का नाम	प्रकार का नाम	PF/RF का स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जीवीपीएसर को-ऑपरेटर	प्लॉट नंबर	ट्रैक्टर (हेक्टर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
हजारीबाग रीजन								
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमाणक, हजारीबाग	हजारीबाग	हजारीबाग	अलगडीह सुरक्षित वन	हजारीबाग (कटकमसांडी)– 79	N 24° 01' 57.13" E 85° 20' 37.24"	1, 123	25
	बरही	बरकटा	बरही	धरहरा	बरकटा- 97	N 24° 10' 42.49" E 85° 34' 26.55"	494, 495, 502, 503, 504	50
								75
2	चतरा उत्तरी वन प्रमाणक, चतरा	हंतरगंज	हंतरगंज	फुलवरिया	हंतरगंज – 282	24° 18.227' 84° 44.413'	106, 187, 188, 189, 190	50
				प्रतापपुर	हेसातु	प्रतापपुर- 135	24° 14.464' 84° 34.049'	67, 106, 107, 108
				कुन्दा	कुटील	प्रतापपुर – 175	24° 07.364' 84° 35.247'	20, 21, 22, 24, 26, 27
				राजपुर	कान्हाकटी	गम्हारातरी	24° 16.015' 84° 50.864'	298
				हंतरगंज	रस्ती	चतरा – 159	24° 19.302' 84° 43.534'	470, 473, 474, 475, 486, 517
				प्रतापपुर	प्रतापपुर	हंतरगंज	24° 15.325' 84° 41.363'	65, 66, 67, 68, 69, 71, 72
				कुन्दा	फुलवरिया	प्रतापपुर – 158	24° 11.827' 84° 33.514'	1, 5, 39, 124
				हंतरगंज	कोल्हुआ	हंतरगंज – 276	24° 16.056' 84° 40.115'	427, 428, 429, 430, 431
								50



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नानित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1142

दिनांक -

08-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54588	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,367,300.00
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54590	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO, FOR, DIV, DEO.	1,709,100.00
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54592	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	1,709,100.00
योग:				4,785,500.00
क्रमिक योग: रुपये सेतालीस लाख पिच्चासी हजार पैंच सौ				


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DFO (Hazaribag) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि				
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मंजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54593	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA रुपये इनकानवे लाख पंद्रह हजार चार सौ D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	9,115,400.00				
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मंजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54594	CTRFOR003 SRI KALI KINKER रुपये बाहस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ D.F.O, SOUTH DIVN. CHATRA	2,278,800.00				
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मंजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54595	PLMFOR070 NARESH CHANDRA रुपये एक करोड तेरह लाख चौरानवे SINGH MUNDA हजार दो सौ D.F.O.MEDININAGAR OREST.DIV.	11,394,200.00				
<hr/>								
योग:	रुपये दो करोड पचहत्तर लाख तीहत्तर हजार चौहानी सौ							
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड पचहत्तर लाख तीहत्तर हजार चौहानी सौ							
<hr/>								
22,788,400.00								
<hr/>								
27,573,900.00								
<hr/>								
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF, DBADHAWARD, RANCHI								
<hr/>								
Page 2 of 8								
Run Date: 8/9/2018								

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54596	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	6,836,500.00 रुपये अडसठ लाख छत्तीस हजार पैसे सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54597	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	888,800.00 रुपये आठ लाख अठ्यासी हजार आठ सौ
9	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54600	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	13,673,100.00 रुपये एक करोड छत्तीस लाख तीन हजार एक सौ
योग: 21,398,400.00				
क्रमिक योग: 48,972,300.00				


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEPARTMENT OF FORESTS (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400103	54604	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	13,673,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme			रुपये एक करोड छत्तीस लाख तीनतार हजार एक सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601101400103	54607	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	13,673,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme			रुपये एक करोड छत्तीस लाख तीनतार हजार एक सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601101400323	54608	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	102,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			रुपये एक लाख दो हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
				27,448,200.00
योग:				76,420,500.00
क्रमिक योग:	रुपये सात करोड चौसठ लाख बीस हजार पैंच सौ			

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54609	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	127,500.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार पौंच सौ
14	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54610	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	127,500.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार पौंच सौ
15	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54611	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	680,000.00 रुपये छ: लाख असरी हजार
<hr/>				
योग:				935,000.00
क्रमिक योग:	रुपये सात करोड तीहतर लाख पचपन हजार पौंच सौ			77,355,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DEO, HAZARIBAG (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	पक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54612	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	170,000.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार
17	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54613	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	850,000.00 रुपये आठ लाख पचास हजार
18	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54614	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	510,000.00 रुपये पाँच लाख दस हजार
योग:				1,530,000.00
क्रमिक योग:		रुपये सात करोड अठयासी लाख पिच्चासी रुपये पाँच सौ		78,885,500.00

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	54615	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	66,300.00 रुपये छाल्ह छाल्ह हजार तीन सौ
20	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	54616	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	1,020,000.00 रुपये दस लाख बीस हजार
21	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	54618	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,020,000.00 रुपये दस लाख बीस हजार
2,106,300.00				
योग:				80,991,800.00
क्रमिक योग:	रुपये आठ करोड नौ लाख इनकानवे हजार आठ सौ			

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	54619	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	1,020,000.00 रुपये दस लाख बीस हजार



योगः

1,020,000.00

क्रमिक योगः

रुपये आठ करोड बीस लाख रुपयारह हजार आठ सौ

82,011,800.00

(SHRI SHANTARAM SINGH)

PCCF, D.B.D.M.R.(HANS) RANCHI